

**FORM NO. III**

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दौसा)  
तहसीलदार मण्डावर बनाम मोहरा

किस्म मुकदमा - प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

मु.न. 590/2025

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>28.10.2025</p>	<p>यह प्रार्थना पत्र "ग्रामीण सेवा शिविर-2025" के दौरान राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत पटवारी, पटवार हल्का हल्देना ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्ट्रार किया गया। पटवारी हल्का हल्देना के निवेदन पर सुना गया। पटवारी हल्का ने निवेदन किया कि वाके ग्राम नांगल कोलरा पटवार हल्का हल्देना तहसील मण्डावर जिला दौसा स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2072-75 में खाता संख्या 55 के खातेदार मोहरा पुत्री मांगीलाल हिस्सा 1/80 जाति माली सा.देह खातेदार एवं मोहरा पुत्री मांगीलाल हिस्सा 1/800 जाति माली सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त दर्ज रिकार्ड खातेदार की जांच की गई। जांच में मोहरा पुत्री मांगीलाल हिस्सा 1/80 जाति माली सा.देह खातेदार एवं मोहरा पुत्री मांगीलाल हिस्सा 1/800 जाति माली सा.देह की दोहरी प्रविष्टी पायी गई। उक्त दोहरी प्रविष्टी को मोहरा पुत्री मांगीलाल हिस्सा 11/800 कर एक किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात व तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट दिनांक 17.09.2025 से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार मण्डावर द्वारा उक्त दोहरी प्रविष्टी खातेदार मोहरा पुत्री मांगीलाल हिस्सा 1/80 जाति माली सा.देह खातेदार एवं मोहरा पुत्री मांगीलाल हिस्सा 1/800 जाति माली सा.देह को खातेदार मोहरा पुत्री मांगीलाल हिस्सा 11/800 शुद्ध किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा के आधार पर प्रार्थना का हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है।</p> <p><b>आदेश</b></p> <p>हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम नांगल कोलरा पटवार हल्का हल्देना तहसील मण्डावर जिला दौसा स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2072-75 में खाता संख्या 59 के खातेदार मोहरा पुत्री मांगीलाल हिस्सा 1/80 जाति माली सा.देह खातेदार एवं मोहरा पुत्री मांगीलाल हिस्सा 1/800 जाति माली सा.देह दोहरी प्रविष्टी को खातेदार मोहरा पुत्री मांगीलाल हिस्सा 11/800 शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष रिकार्ड मुताबिक जमावदी यथावत रहेगा। तहसीलदार मण्डावर को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमिल दाखिल दफतर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को सुनाया गया।</p>	

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S  
उपखण्ड अधिकारी  
मण्डावर दौसा  
उपखण्ड अधिकारी  
मण्डावर (दौसा)